



भारत में लोक प्रशासन दशा और दिशा

डॉ. मोहिंदर सिंह

S
A

भारत में लोक प्रशासन दशा और दिशा

संपादक

डॉ. मोहिंदर सिंह

पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

लोक प्रशासन विभाग

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

एवं

विजिटिंग प्रोफेसर

लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान

आरआईएमआई विश्वविद्यालय

मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब)

आर बी एस ए पब्लिशर्स

340, चौड़ा रास्ता, जयपुर

भारत में लोक प्रशासन : दशा और दिशा
डॉ. मोहिंदर सिंह

प्रकाशक
आर बी एस ए पब्लिशर्स
340, फतेहपुरियों का दरवाजा
चौड़ा रास्ता, जयपुर-302 003
फोन: (0141)-2575826, 2571702

□

© संपादक
प्रथम संस्करण : 2024
ISBN : 978-93-92064-88-3

□

लेजर टाइपसेटिंग
मदन कम्प्यूटर्स, जयपुर

□

Digitally Printed at
Trident Enterprises (UP), Noida

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the editor and the publisher. Responsibility for the facts stated, opinions expressed, conclusions reached and plagiarism, if any, in this book is entirely that of the authors. The editor and publishers bear no responsibility for them whatsoever.

लेखकों की सूची



- डॉ. मोहिंदर सिंह, विजिटिंग प्रोफेसर, लोक प्रशासन व राजनीति शास्त्र, आर.आई.एम.टी. यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब)।
- डॉ. मीनू शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, द असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी, (असम)।
- डॉ. राजविंदर कौर, सहायक प्रोफेसर लोक प्रशासन, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- डॉ. राजीव कुमार, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पलवल, कुरुक्षेत्र, (हरियाणा)।
- डॉ. जयवीर सिंह, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
- डॉ. राजकुमार सिवाच, प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा)।
- सुश्री ममता स्वामी, सहायक प्राध्यापिका, लोक प्रशासन विभाग, मनोहर मेमोरियल कॉलेज, फतेहाबाद (हरियाणा)।
- डॉ. बृजपाल, सह—आचार्य, लोक प्रशासन, एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर, (हरियाणा)।
- सुश्री आरती शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़।
- डॉ. राधव खन्ना, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़।
- डॉ. सावित्री, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर (हरियाणा)।
- श्री प्रदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर, गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल (हरियाणा)।
- डॉ. सुनेत रानी, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन, राजकीय कॉलेज, अलेवा, जींद (हरियाणा)।
- डॉ. जगदीप सिंह, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ़, (हरियाणा)।
- सुश्री रेनू बाला, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, हिंदू कन्या कॉलेज, कपूरथला (पंजाब)।
- डॉ. सौरभ चन्द्र, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, असम डान बास्को विश्वविद्यालय, तपस्य कैंपस, सोनपुर, (असम)।
- डॉ. राजेश कुमार कुंदू, सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)।

12. केंद्र राज्य सम्बन्ध : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन सावित्री	114
13. केन्द्रीय वित्त आयोग : संगठन, कार्य एवं समीक्षा प्रदीप कुमार	132
14. भारत का लेखा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक राजकुमार सिवाच	146
15. भारत में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और समाधान आरती शर्मा एवं राघव खन्ना	159
16. भारत में भ्रष्टाचार सुनेत रानी	173
17. भारत में लोकपाल और लोकायुक्त मोहिंदर सिंह	181
18. भारत में न्यायिक प्रशासन : संरचना, चुनौतियाँ और मुद्दे राजविंदर कौर	192
19. भारत में सांझा सरकारें तथा राजनीति जगदीप सिंह	222
20. संघ लोक सेवा आयोग रेनू बाला	230
21. भारत में न्यायिक सक्रियता सौरभ चन्द्र	244
22. भारत में सुशासन के मुद्दे, चुनौतियाँ तथा उपचारात्मक सुझाव राजेश कुमार कुंडू एवं सुमन लता	251
23. ई—गवर्नेंस: कार्यान्वयन, चुनौतियाँ एवं समाधान सुनेत रानी	280
24. भारत में स्मार्ट शासन : मुद्दे व चुनौतियाँ कृष्ण कुमार पूनिया	291
25. सूचना का अधिकार एवं शासन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व प्रवीण कुमार खत्री	299
26. वैश्वीकरण का भारतीय प्रशासन पर प्रभाव प्रवीण कुमार खत्री	310
27. राज्यपाल रेनू बाला	325

केंद्र राज्य सम्बन्ध : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन



सावित्री

परिचय

भारत में दोहरी शासन प्रणाली है राज्यों की अपनी सरकार है और केन्द्र की केन्द्रीय सरकार है भारतीय संविधान के भाग ग्यारह में केन्द्र राज्य संबंधों का विस्तार और स्पष्टता से वर्णन किया गया है। किसी भी लोकतन्त्र की सफलता के लिए संघ व राज्यों के संबंधों में स्पष्टता निष्पक्षता सहयोग व समन्वय का होना आवश्यक है। परन्तु स्वतन्त्र भारत को आधुनिक राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्ता और अलगाव की मार्गों का सामना करना पड़ा जिसके बीज ब्रिटिश काल के दौरान बोए गए थे। इसी कारण केन्द्र राज्य संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय संविधान में अत्यधिक एकात्मक तथा है। भारतीय राज्य संरचना में अर्ध संघीय बनकर उभरा यही व्यवस्था शक्तिशाली केन्द्र और अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों के बीच तनाव का कारण भी रही है।

केन्द्र राज्यों सम्बन्धों की परिभाषा

श्री एम. वी. पटेली के अनुसार, "भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक है न की एकात्मक या अर्द्ध संघात्मक"।

अलेकजैण्ड्रेविक्स के अनुसार, "भारत को अर्द्धसंघात्मक राज्यों के वर्ग में रखना किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है"।

प्रो. डी.एन. बैनर्जी के अनुसार, "भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है पर भावना में एकात्मक है।

प्रो. सी.एच. एलेकजैण्ड्रोविच के अनुसार, "निःसन्देह भारत एक संघ है जिसमें सम्भूत लक्षण केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है"।

नार्मन डी. पामर के अनुसार, "भारतीय गणतन्त्र एक संघ है यद्यपि इसमें अनेक अद्भुत लक्षण हैं, जो राज्य के मूलभूत संघात्मक स्वरूप को बदलते प्रतीत होते हैं"।

के.एम. मुंशी के अनुसार, "भारत फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन है केन्द्र (सरकार) पूर्ण शक्तियाँ वाली संघात्मक सरकार नहीं है"

इस प्रकार केन्द्र राज्यों सम्बन्धों के बारे में विचारकों की परिभाषाओं में मतभेद रहे हैं।

केंद्र-राज्य संबंधों का विकास

केंद्र-राज्य संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, इस विषय पर पहली रोशनी स्वतंत्रता-पूर्वक वर्षों के दौरान पड़ी थी। भारत का केंद्रीकृत प्रशासन भारत में ब्रिटिश शासन में बाधा बन रहा था।

और इसलिए देश के लिए एक स्वदेशी प्रशासनिक प्रभाग की आवश्यकता को पहचाना गया था। इसके अधिनियमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन (1880–1884) द्वारा कई निचले डिवीजन बनाए गए, जिन्होंने निर्वाचित नगरपालिका बोर्डों और ग्रामीण जिला बोर्डों के माध्यम से देश के लिए पहला संघीय ढांचा बनाया। इन विभाजनों ने वर्षों के दौरान ताकत हासिल की और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम (जिसे मैर्ले–मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से और विकसित किया गया, जिसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। जबकि कुछ विद्वानों ने सुधारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले समूहों के राष्ट्रवादी प्रयासों को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा, अन्य ने इसे एक सफलता की कहानी के रूप में बताया, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन ने ब्रिटिशों को राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया।

भारत की राजनीतिक संरचना को विकसित करने में ब्रिटिश प्रशासन को देश को एक प्रभुत्व के रूप में प्रतिबद्ध करने की उनकी इच्छा के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विचार को बल मिला, जब कई भारतीय सैनिक अंग्रेजी गठबंधन की ओर से लड़े। अधिक स्वशासन के लिए भारत के राजनीतिक विकास को मजबूत करने के लिए, तत्कालीन राज्य सचिव (भारत) के वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड द्वारा एडविन मॉटेगु द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। 1918 में भारतीय संविधान सुधार समिति के समक्ष पेश किए गए दस्तावेज़ को मॉटेगु–चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया था, और इसने भारतीय संघीय मंडल को एक स्पष्ट परिपेक्ष प्रदान किया था।

रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, अधिनियम में अगले दस वर्षों के लिए प्रांतों के लिए दोहरी सरकार का प्रावधान किया गया। द्वैध शासन इस मायने में संघीय था कि इसमें प्रांतीय स्तर पर संप्रभुता साझा की जाती थी। जैसा कि अधिनियम में प्रलेखित है ऐसे संगठन के लिए अंग्रेजी भाषा में संघीय शासन के अलावा कोई शब्द नहीं है (भारत सरकार अधिनियम 1919)।

प्रशासनिक मामलों को केंद्र और राज्य में विभाजित किया गया था, राज्य के विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के मंत्रियों के साथ मिलकर शासित किया जाना था। इस अधिनियम ने प्रांतों को बजट तैयार करने, कर लगाने और उच्च और निचले सदनों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का अधिकार भी दिया। शक्तियों के इस विभाजन के बावजूद, यह वास्तव में संघीय प्रकृति का नहीं था, क्योंकि सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास छोड़ दी गई थीं, और जो राज्यों के पास थीं, वे संवैधानिक रूप से नहीं दी गई थीं, बल्कि केंद्र सरकार की उदारता के माध्यम से दी गई थीं।

द्वैध शासन में भारतीय राष्ट्रवादियों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जो वर्ग उनके नियंत्रण में थे, उनकी वित्तीय व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा संचालित की जाती थी। इन चिंताओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष नए सिरे से विरोध प्रदर्शन और अभ्यावेदन अगले दशक में विफल रहे, जब तक कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इस मुद्दे पर दोबारा गौर नहीं किया। स्थानीय रूप से अलोकप्रिय साइमन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन अधिनियमित किए गए—

- प्रांतों के सहयोग से काम करते हुए काउंटी में एक संघीय सरकार की स्थापना।
- 1919 के अधिनियम द्वारा लागू द्वैध शासन को राज्य से समाप्त कर केंद्र में स्थापित किया गया।

3. प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई और प्रशासनिक विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया-

- संघीय सूची जिसमें केंद्र सरकार को सौंपे गए विषय शामिल थे;
- प्रांतीय सूची जिसमें प्रांतों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के तहत सभी विषय शामिल थे
- समवर्ती सूची जिसके विषयों पर केंद्र और प्रांत दोनों अपने संयुक्त अधिकार का फ़ैलाव करेंगे।

परिवर्तनों ने एक संघीय विधानमंडल को औपचारिक रूप दिया जिसमें दो सदन, राज्य परिषद् और संघीय विधानसभा शामिल थे। राज्यों की परिषद् (उच्च सदन) एक स्थायी निकाय थी जिसमें एक तिहाई सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते थे।

इस अधिनियम के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यह 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता तक 12 वर्षों तक भारत के संविधान के रूप में कार्य करता रहा। हालाँकि इस अधिनियम का एक दोष यह था कि इसने देश में सांप्रदायिक तनाव को भड़काना जारी रखा क्योंकि अलग—अलग आरक्षण निर्वाचक मंडल बनाए रखा गया और इस प्रकार मुसलमानों ने अपने समुदाय के सदस्यों और इसी तरह हिंदुओं के लिए मतदान किया।

हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, देश के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के उस संघीय ढांचे को संबोधित करने के लिए एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ा जो अब मौजूदा था। विभाजन के दुष्परिणामों को देखने के बाद, सभा स्पष्ट थी कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देगी।

'संघवाद' शब्द के उपयोग से जुड़ी जटिलताओं के कारण, घटक निकाय ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अटूट प्रकृति को सुदृढ़ करने के लिए भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संरचना भी निर्धारित करते हुए। इसने दोहरी नागरिकता के बजाय भारत के लिए एकल नागरिकता को रखकर एकात्मक प्रणाली को विश्वसनीयता प्रदान की।

संवैधानिक भाषा ने कानूनी रूप से बाध्य राज्यों को बड़े संघ को दे दिया और उन्हें अलग होने के अधिकार से वंचित कर दिया। इसके अतिरिक्त, राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि संघ के गठन के समय राज्य संप्रभु संस्थाएं नहीं थे।

जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक केंद्रीय एकात्मक प्रणाली के पक्ष में थे, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल इस आधार पर इसके विरोध में थे कि इससे प्रशासन मुश्किल हो जाएगा, खासका आंतरिक विभाजन पर जो राज्यों के भाषाई और संस्कृतिक विभाजन को चिह्नित करता है। संघवाद पर जोर देने और नई संरचना को प्रशासनिक व्यवस्था देने को उसके बाद की अवधि में कई राज्यों के तेजी से निर्माण के माध्यम से समझा जा सकता है— 1956 में, राज्य पुनर्गठन के बाद जातीय-भाषाई विविधता के आधार पर आठ नए संघीय राज्य उभरे। उस वर्ष का अधिनियम, 1960 और 1966 के बीच, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और हरियाणा जैसे पांच नए संघीय राज्यों की स्थापना की गई। तथ्य यह है कि राज्यों के भारी बहुमत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शासन था। केंद्र में एकात्मक—संघवाद के उद्देश्य में भी मदद मिली, जिसमें प्रशासन के मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों एक ही पृष्ठ पर थे।

यह 1967 में था जब अर्ध—संघीय संरचना का परीक्षण किया गया था; इतिहास में पहली बार कांग्रेस विहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के प्रांतीय चुनावों में हार गई।

इससे केंद्र और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध टूटने लगे। राजनीतिक परिवृश्य में इंदिरा गांधी के उदय ने संघीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि उनकी केंद्रीकृत कार्यशैली ने कई सत्तावादी उपायों को जन्म दिया, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को हटाना भी शामिल था, जिन पर उन्हें अपने हितों के विरोधी होने का संदेह था। उनके स्थान पर गांधी ने अपने करीबी मंत्रियों को बैठाया। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को जबरन बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।

बदली हुई राजनीतिक गतिशीलता ने क्षेत्रीय दलों के उदय को मजबूर किया और 1977 में आपातकाल लागू होने से राज्यों में केंद्रीय सत्ता पर चिंता की लहर पैदा हो गई। इस अवधि के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों के कारण 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शक्तियों को कमजोर कर दिया गया। राज्यों के साथ मतभेद सुलझाने के लिए सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया।

आयोग की सिफारिशों में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल थे। आयोग ने रेखांकित किया कि इस उपकरण का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो गए हों। इसने यह भी सिफारिश की कि केंद्र को अनुच्छेद 355 के तहत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी सर्वोपरि जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। हालाँकि, अनुच्छेद 356 में लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में, यह खंड काफी हद तक निष्क्रिय बना हुआ है।

आयोग ने भारत के भीतर केंद्रीकृत संबंधों की धारणा को यह कहते हुए आगे बढ़ाया, संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में सहकारी कार्रवाई के लिए अधिक कार्यात्मक व्यवस्था है। अनुच्छेद 258 (कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति) एक उपकरण प्रदान करता है जिसके उदार उपयोग से प्रणाली के कामकाज में सहकारी संघवाद को काफी हद तक साकार किया जा सकता है। राज्यों की सरकारों की शक्तियों के प्रगतिशील विकेंद्रीकरण के लिए इस उपकरण का अब तक की तुलना में अधिक उदारतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।

जिस समय आयोग का अध्ययन किया जा रहा था वह समय देश में आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। ये गतिशीलता वर्तमान दशक तक केंद्र-राज्य संबंधों के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी।

1990 के दशक की उदारीकरण नीतियों ने नवाचारों और उद्यमियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिन्हें केंद्र द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के अलावा राज्यों द्वारा भी समर्थन दिया जाना था। यह विकेंद्रीकरण के दायरे से ही संभव था। संयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों पर अधिक सहयोग जैसे विश्व के विकास ने शासन के मानकों को बढ़ाया, साथ ही अपने स्थानीय कार्यों को पूरा करने में राज्यों के हाथों को मजबूत करने के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए देश के भीतर सुधारों की शुरुआत की।

इन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के तहत संविधान में संशोधन किया गया। इन दोनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार थे।

- नगर निगमों और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा
- शहरी स्थानीय निकायों की संरचना प्रदान करें; उनके नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान करता है; एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान

करता है; उनका कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित करता है; उन्हें मनमाने ढंग से विघटन के बचाता है, उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है।

उनका महत्व यह था कि इसने राज्यों से स्थानीय निकायों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को प्रोत्साहित करके प्रशासनिक संघवाद को मजबूत किया। इसने देश मरे सैकड़ों-हजारों संवैधानिक रूप से मान्य स्थानीय शासन इकाइयों को विखेर कर भारत को महासंघ का संघ बना दिया।

इस अवधि के दौरान ऋण घाटे को कम करने के प्रयास में राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा में भी वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप राज्य पहले की तुलना में अधिक दबदबा, जो प्रमुख रूप से ताकत हासिल कर रही थीं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद, केंद्र ने अंतर-राज्य परिषद (आईएससी) बनाई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के छह सदस्य शामिल थे।

भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत पहचान के आधार पर इन क्षेत्रीय दलों के उदय ने उन्हें महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएँ हासिल करने की अनुमति दी, जिससे केंद्र में गठबंधन सरकारों के गठन के साथ उनकी शक्ति और भी मजबूत हो गई।

केंद्र और राज्यों के बीच तनाव उत्तरोत्तर अधिक जटिल होता जा रहा था। तीन प्रासंगिक तकों पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं—

- वर्तमान संघीय ढांचे को बरकरार रखते हुए,
- संघीय ढांचे को पुनः परिभाषित करना,
- संविधान का पुनर्मूल्यांकन करना जिसका अर्थ है संघवाद को फिर से परिभाषित करना और केंद्र में सरकार के स्वरूप को बदलना।

आजादी के 76 वर्षों के बाद भी, देश में संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों का प्रश्न अनसुलझा है।

राज्यों का अंतर्निहित अविश्वास केंद्र सरकार के कामकाज में परिलक्षित होता है, जिसमें अंतर-राज्य परिषद के उपयोग की कमी और राज्यों के साथ महत्वपूर्ण कानूनों पर बार-बार मतभेद (उदाहरण— उच्च सदन में लोकपाल विधेयक का रुकना) शामिल है। केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों के प्रमुखता मिलने के बावजूद, क्षेत्रीय दलों की मांगों और उनकी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

भारतीय सविधान में केन्द्र राज्य सम्बन्धों को तीन भागों में बंटा गया है—

1. केन्द्र व राज्यों के बीच विधायी सम्बन्ध
2. केन्द्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक सम्बन्ध
3. केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध

केन्द्र व राज्यों के बीच विधायी सम्बन्ध

भारतीय सविधान में संघ व राज्यों के बीच विधायी सम्बन्धों का प्रावधान सविधान के भाग ग्यारह के अध्याय एक में अनुच्छेद 245 से 255 के अन्तर्गत किया गया है। इसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा तीन सूचियों संघसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची के मध्य किया गया है।

संघ सूची में मूलरूप से 97 विषय थे अब इसमें 100 विषय है। इसमें शामिल विषय है प्रतिश्वासा परमाणुक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध व शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेना, बंदरगाह

है कि पुलिस, जेलखाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य-व्यापार, न्युपलन, प्रदेशिक लोक सेवा। समवर्ती सूची में 52 विषय है केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ही इस दृष्टि में कानून बना सकते हैं। इसमें शामिल विषय है—शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का हस्तातरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना व उत्तराधिकार सम्बन्धी विषय तथा इति में संसद, राज्य सूची के विषय पर पर कानून बना सकती है। जो भारत के सम्पूर्ण राज्य हो या उसके किसी भाग के लिए मान्य होगा।

राज्य द्वेष में संसदीय विधान

संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित पांच असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए।

राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित होने के बाद

यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी।

इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में दो तिहाई का समर्थन मिलना चाहिए यह प्रस्ताव एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है परंतु इसे एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच और सहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान

यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लती है आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक यह व्यवस्था प्रभावित रहेगी यहां भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहता है।

राज्यों के अनुरोध की अवस्था में

जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उसे मसाले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हें राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार सांसद ही कर सकती है। ना कि संबंधित राज्य उक्त ग्राम्यानों के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधान मंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना

संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती। यह व्यवस्था केन्द्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है इस

राष्ट्रपति शासन के दौरान

जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची का नाम बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरान्त भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है परंतु ऐसे कानून को राज्य विधान मंडल द्वारा निरस्त या परिवर्तित या पुनर्लागू किया जा सकता है।

राज्य विधान मंडल पर केंद्र का नियंत्रण

अपवाद जनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है नंबर एक राज्यपाल विधायक को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है।

राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जा सकता है।

राष्ट्रपति राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन्य वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है।

केन्द्र व राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध

भारतीय संविधान के भाग ग्यारह (11) के अध्याय 2 के अनुच्छेद 256 से 263 तक केन्द्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक सम्बन्धों का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता का प्रावधान है।

अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ के नियन्त्रण का प्रावधान है।

अनुच्छेद 257-क में राज्यों को सशास्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग व निरस्तता का प्रावधान है।

अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति का प्रावधान है।

अनुच्छेद 258-क में संघ को कृत्य सौपने को राज्यों की शक्ति का प्रावधान है।

अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशास्त्र बल (निरस्त) करने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 260 इसमें भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का प्रावधान है।

अनुच्छेद 261 इसमें सार्वजनिक कार्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहीयों का प्रावधान है।

अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल सम्बन्धी विवादों का न्यायनिर्णय का प्रावधान है।

अनुच्छेद 263 इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है।

केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता

है।

राज्यों का दायित्व

अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे कि संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन होता रहे इसके अतिरिक्त राज्यों का भी यह दायित्व तय किया गया है कि वे राज्य के प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दें।

केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश

अनुच्छेद 257 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकती है कि वह अपनी प्रशासकीय शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति के क्रियान्वयन में कोई बाधा ना आए इसमें ऐसे निर्देश भी सम्मिलित हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के संचार के साधनों के निर्माण एवं उनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था से होता है इसी प्रकार केंद्र रेलमार्गों को एवं रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है।

केंद्र द्वारा राज्य सरकारों का उपयोग

अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सरकार या उसके पदाधिकारी को सशर्त या बिना किसी शर्त के ऐसे मामलों से संबंधित कार्य सौंप सकता है जो केंद्र की प्रशासनिक शक्ति की सीमा में आते हैं इसका अभिप्राय यह हुआ कि केंद्र द्वारा संघ सूची में शामिल किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्य के पदाधिकारी को सौंपा जा सकता है।

सार्वजनिक कृतियां, अभिलेख एवं न्यायिक कार्यवाही को मान्यता

अनुच्छेद 261 के अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारों दोनों का यह कर्तव्य है कि वह समस्त सार्वजनिक कृतियां अभिलेख और न्यायिक प्रक्रिया में अपनी पूर्ण आस्था एवं विश्वास व्यक्त करें इसके अतिरिक्त जिन परिस्थितियों और तरीकों से इन कृतियों, अभिलेख एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रमाणित या निर्धारित किया जाता है उनकी व्यवस्था संसद द्वारा निर्मित कानून द्वारा की जाती है।

अन्तर्राज्यीय नदियों के जल का बंटवारा

अनुच्छेद 262 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद कानून बनाकर अन्तर्राज्यीय राज्य नदियों के जल के प्रयोग वितरण और नियंत्रण या अन्तर्राज्यीय घाटी के बारे में विवाद या आरोपी के निर्णय की व्यवस्था करें इस बारे में सांसद यह भी निर्धारित कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय किस प्रकार के विवादों पर विचार ना करें अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना।

राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के अनुसार, सार्वजनिक उद्देश्यों की दृष्टि से अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित कर सकता है अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इसका गठन किया है इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं।

राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना उनके विषय में परामर्श देना।

संघ तथा राज्यों के सामान्य हितों पर विचार करना।

अन्तर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के समन्वय के लिए सुझाव देना।

अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है किंतु इन्हें राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता है यह अधिकारी अपना वेतन भत्ते आदि राज्यों से प्राप्त करते हैं जबकि उनके वेतनमान आदि का निर्धारण केंद्र द्वारा किया जाता है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।

राज्यपालों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है इसलिए राज्यपाल को केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना होता है वर्तुत राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को नियंत्रित करती है।

बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने हेतु आवश्यक कदम उठा सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि राज्य सरकारे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य के राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है इस घोषणा के साथ की राज्य सरकार भंग हो जाती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसी राज्य सरकार को दंडित कर सकता है जो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न कर रही हो।

संविधान के इन प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनका संबंध केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों से होता है किंतु जिन का निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है जैसे निर्वाचन एवं लेखापरीक्षण आदि स्पष्ट है कि संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करते हुए केंद्र की प्रधानता स्थापित की गई है जिसके कारण राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो गई है किंतु हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें से अधिकतर प्रावधान केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं।

प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने ऐसे कानूनों का समावेश किया है। जिससे राज्यों पर समूचित नियंत्रण बनाया जा सके क्योंकि संघीय शासन की सफलता केन्द्र राज्य के बीच सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है।

संघ व राज्यों के वितीय सम्बन्ध

भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच वितीय संबंधों का भाग 12 के प्रथम अध्याय अनुच्छेद 268 से 293 के बीच वर्णन किया गया है वितीय सम्बन्धों में करो के विषय में कहा गया है कि विधि के प्रधिकार से ही लगाया या प्राप्त किया जा सकता है संघ के राजस्व स्त्रोत है निगम की सीमा शुल्क निर्यात शुल्क, तंबाकू शुल्क, विदेशी ऋण लाटरियां डाक व तार टेलीफोन, रेलें भारत की रिवर्ज बैंक, समाचार पत्रों व विज्ञापनों समुद्र तथा वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमांत कर न्यायलय में लिए जाने वाले शुल्क को छोड़कर संघ सूची में अंकित किन्हीं विषयों पर शुल्क इत्यादि।

राज्यों के राजस्व स्त्रोतः प्रति व्यक्ति कर, भू राजस्व, बिजली के उपभोग तथा विक्रय पर कृष्ण भूमि व भवनों पर कर, न्यायलयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को छोड़कर राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर शुल्क, वाहनों पर कर, चूगी कर इत्यादि।

करों के सम्बन्ध में प्रावधन है। कि संघ द्वारा लगाए गए कर राज्य द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाते हैं औषधियों और प्रसाधन वस्तुओं पर ऐसे उत्पादन शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है। संघ द्वारा आरोपित किए जाएंगे। (अनुच्छेद 268) संघ द्वारा लगाए गए व संग्रहित कर जिनका संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजन किया जा सकता है।

- संसद को संघ सूची के विषयों पर कर वसूलने का अधिकार है।
- राज्य विधान मंडल के पास राज्य सूची में सूचीबद्ध कर लगाने का एकमात्र अधिकार है समवर्ती सूची उन करों की गणना करती है जो संसद और राज्य विधान मंडल दोनों द्वारा लगाएं जा सकते हैं।
- संसद के पास कराधान की अवशिष्ट शक्ति है। (तीनों सूचियों में से किसी में सूचीबद्ध नहीं किए गए उन पर संसद को कर लगाने का अधिकार है) इस अनुच्छेद के तहत संसद उपहार कर धनकर या व्यय कर लगा सकती है।
- समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं हैं कर कानून के संदर्भ में समवर्ती क्षेत्राधिकार पहुंच योग्य नहीं हैं हालांकि 2016 के 101 वे संशोधन अधिनियम ने वस्तु और सेवा कर के लिए एक अद्वितीय प्रावधान स्थापित करके छूट प्रदान की इस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले विधान बनाने की समवर्ती क्षमता संसद और राज्य विधानसभाओं को दी गई है।

संविधान में राज्यों की कराधान शक्तियों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं –

एक राज्य विधायिका कुछ व्यवसाय, शिल्पव्यवसाय पर कर लगा सकती है हालांकि 2500 प्रति वर्ष की सीमा के तहत एक राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो स्थितियों के तहत वस्तुओं या सेवा में या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने से रोक दिया गया है।

- जब ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर होती है जहां ऐसी आपूर्ति निर्यात या आयात प्रक्रिया के दौरान होती है।
- संसद के पास यह पहचान के लिए मानक स्थापित करने का अधिकार है की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति राज्य के बाहर या आयात या निर्यात के रास्ते में होती है या नहीं।
- बिजली का उपयोग या बिक्री राज्य विधान मंडल द्वारा लगाए गए करके अधीन है हालांकि बिजली के बिक्री या उपयोग पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता।
- संघ द्वारा उपभोग किया जाता है या संघ को बेचा जाता है या यूनियन या संबंधित रेलवे कंपनी द्वारा किसी रेलवे के निर्माण रख रखाव या संचालन में उपभोग किया जाता है या समान उद्देश्य के लिए यूनियन या रेलवे कंपनी को बेचा जाता है।
- किसी अंतराष्ट्रीय नदी या नदी घाटी को नियंत्रित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा स्थापित कोई भी प्राधिकरण राज्य विधायिका द्वारा संग्रहित उत्पन्न उपभोग वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या बिजली पर कर लगाएगा जबकि कानून के प्रभावी होने के लिए इसे राष्ट्रपति के विचार और अनुमोदन के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

राज्यों को सहायता अनुदान

संघ और राज्यों के बीच साझा कराधान के अलावा संविधान संचित निधि से राज्यों को सहायता

अनुदान प्रदान करता है वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान राज्यों को सहायता अनुदान के दो प्रकार हैं।

वैधानिक अनुदान अनुच्छेद 275 संसद को सभी राज्यों को बजाए उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है प्रत्येक वर्ष यह अनुदान भारत की संचित निधि से वसूला जाता है।

इस मानक प्रावधान के अलावा संविधान किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष धन का भी प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रधान किए जाते हैं।

विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है भले ही यह उनके अपने विधि अधिकार क्षेत्र से बाहर हो इस विनियमन को लागू करने के लिए केंद्र जिम्मेदार है।

केन्द्र राज्यों संबंधों में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ

1967 तक केन्द्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे थे क्योंकि उस समय केन्द्र व राज्यों में एक ही दल का शासन होता था। 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में पराजित हुई जिससे केन्द्र में उसकी स्थिति कमजोर हो गई। जिसके कारण केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों में भी परिवर्तन आया राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों ने कई मसलों पर केन्द्रीयकरण का विराध किया उन्होंने राज्यों की स्वायत्ता का मुददा उठाया और ज्यादा शक्तियों एवं वित्तीय स्त्रोतों की मांग की। जिसके कारण केन्द्र राज्य सम्बन्धों में तनाव की स्थिति बनी।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों में तनाव के कारण

केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-

1. वर्तमान समय में राज्यों के पास सीमित साधन है व उन्हें अधिकांश विकास योजनाओं के लिए केन्द्र की सहायता की आवश्यकता होती है केन्द्र भी राज्यों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है।
2. राज्यपाल का पद केन्द्र सरकार का एक शक्तिशाली अभिकरण है और राज्यों में केन्द्र का वर्चस्व स्थापित करने में सहायक भी है।
3. केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच राजस्व स्त्रोतों पर भी तनाव रहता है।
4. अर्थिक अनुदान व सहायता सम्बन्धी राज्यों की मांग पर भी केन्द्र व राज्य सरकारों में तनाव की स्थिति बनती है।
5. राज्य सूची के विषयों पर केन्द्र सरकार का अधिग्रहण। भी दोनों में तनाव का कारण है।
6. राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती होने से भी केन्द्र व राज्यों में तनाव की स्थिति बनती है।
7. सवैधानिक प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाएँ निःसन्देह केंद्र के प्रति रुझान प्रदर्शित करती हैं।
8. अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की विधि राज्य सूची से केन्द्र सूची में प्रकार्यों का हस्तातरण इत्यादि भी केन्द्र और राज्यों के मध्य तनाव का कारण है।

9. संविधान राज्यों को अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौपता है विकासात्मक एवं नियमनात्मक दोनों ही प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से इनके कार्यक्षेत्र में है। लेकिन संसाधन उत्पन्न करनी वाली शक्तियाँ केंद्र को समर्थन के लिए दी गई हैं।
10. केंद्र व राज्यों के बीच मधुर सम्बन्धों के न होने से भी तनाव बढ़ता है। जिन राज्यों के केन्द्र के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों जीवन बीमा निगम तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित संसाधन प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

केंद्र राज्य संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

केंद्र राज्यों के संबंधों के प्रबंध में कुछ महत्वपूर्ण दोष हैं जिनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है—

वैधानिक क्षेत्र में केंद्र की प्रभुसत्ता

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के परस्पर वैधानिक संबंधों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान ने केंद्र को वैधानिक क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया है संघीय सूची में अकित विषय संख्या में पर्याप्त अधिक है और महत्व के पक्ष में भी ये विषय राज्य सूची में दिए गए विषयों की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है राज्य सूची में दिए गए नियम भी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त नहीं है कई स्थितियों में केंद्र सरकार उन विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के संबंध में केंद्र सरकार को प्रभुत्व दिया गया है इन बातों के अतिरिक्त अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को सौंपने से राज्य सरकार की वैधानिक शक्तियों का क्षेत्र संरक्षा ही सीमित कर दिया है राज्य सरकार की ऐसी स्थिति संघात्मक प्रणाली की आत्मा के विरुद्ध है।

राज्य सरकार के कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था

वैधानिक शक्तियों के विभाजन के संबंध में एक और पक्ष विचारणीय है राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित किए गए कानून को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति उन विधेयकों की स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है राज्यपाल केंद्रीय सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं केंद्र द्वारा नियुक्त किए हुए राज्यपाल केंद्रीय सरकार को प्रसन्न करने के लिए राज्य विधान मंडलों द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

संविधान में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास संविधान में संशोधन करने के संबंध में राज्य विधान मंडल पहल नहीं कर सकते संविधान के थोड़े बहुत अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के संबंध में राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति ली जाती है संविधान के काफी बड़े भाग में संशोधन करने के लिए राज्य विधान मंडलों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है यहां तक की नए राज्यों का निर्माण करने राज्य की नाम में परिवर्तन करने या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी केंद्रीय सरकार के पास है इस प्रकार स्पष्ट है की वैधानिक और संवैधानिक क्षेत्र में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार की स्थिति बहुत ही अधिक शक्तिशाली है।

प्रशासकीय संबंधों में केंद्र की श्रेष्ठता

वैधानिक क्षेत्र की भाँति प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्र सरकार की स्थिति प्रभुत्व वाली है राज्यपाल राज्यों के यद्यपि संवैधानिक मुखिया होते हैं परंतु केंद्र द्वारा नियुक्त होने के कारण वह मुख्य रूप में

केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं केंद्रीय सरकार राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती है इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के उच्च पदों पर लगे अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी वास्तव में केंद्रीय सरकार के ही अधीन होते हैं वास्तव में इन अधिकारियों द्वारा केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर अपना प्रभाव बनाए रखती है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संपूर्ण देश में या किसी विशेष राज्य में आपात स्थिति की घोषणा करके राज्यों के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है यदपि केंद्रीय सरकार अनुभव करें कि किसी राज्य में केंद्रीय सरकार की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो केंद्रीय सरकार केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल भेज सकती है।

अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रबंध असफल होने की प्रस्तुति में राष्ट्रपति राज्य लागू कर सकता है राष्ट्रपति राज्य लागू होने की अवस्था में राज्य सरकार भंग कर दी जाती है अनुच्छेद 356 राज्यों के प्रशासन को केंद्रीय सरकार के रहम पर निर्भर करने का जिम्मेदार है इस अनुच्छेद का आश्रय लेकर केंद्र सरकार किसी न किसी बहाने किसी भी राज्य सरकार को भंग कर सकती है।

राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि

राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्शानुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं भारतीय राजनीति प्रणाली का गत अर्ध-शताब्दी का इतिहास इस सत्यता को प्रमाणित करता है की अनेक राज्यपालों ने केंद्र सरकार के संकेत पर ऐसी कार्यवाही की है जो संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुकूल नहीं थी राज्यपाल के पद की व्यवस्था राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में की गई है किंतु कई राज्यपालों ने संवैधानिक मुखिया के रूप में काम और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अधिक भूमिका अभिनीत की है।

वित्तीय संबंधों में केंद्र का प्रभुत्व

वित्तीय क्षेत्र में भी राज्य की स्थिति केंद्र सरकार की अपेक्षा महत्वहीन है राज्य सरकारों को दिए गए आय के साधन इतने कम हैं कि राज्य सरकार अपनी विकास योजना और अन्य आवश्यकताओं को सुगमता से पूरी नहीं कर सकती ऐसी स्थिति होने के कारण राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार से सहायता की मांग करनी पड़ती है यदि केंद्र और राज्यों में एक दल की सरकार हो तो काम में अड़चन पड़ने की कम संभावना है परंतु यदि केंद्र में किसी और दल की ओर राज्य में किसी और दल की सरकार हो तो वित्तीय सहायता के संबंध में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में तनाव उत्पन्न हो सकता है।

केन्द्रीयकृत आयोजन

हमारे देश में आयोजन का केन्द्रीयकृत होना भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता तथा राज्य सरकार के कमज़ोर स्थिति को अभिव्यक्त करता है हमारे देश में एक नीति आयोग है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यों की प्रमुख विकासशील योजनाओं का अंतिम निर्णय भी इस आयोग द्वारा किया जाता है राज्य सरकार को महत्वपूर्ण विकासशील योजनाओं के विषय में केंद्र सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक है कुछ विषयों में केंद्र की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण के

राज्यों में महत्वपूर्ण विकासशील योजनाएं दीर्घ समय तक लागू नहीं होती है ऐसी स्थिति में राज्यों का विकास केंद्र की इच्छा पर निर्भर होकर रह जाता है ऐसी स्थिति केंद्र राज्य के संबंधों में तनाव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है।

नवीन राज्यों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति

नवीन राज्यों की स्थापना करना तथा उन्हें संघ में सम्मिलित करने की शक्ति भी केंद्रीय संसद को प्रदान की गई है इस विषय में राज्य विधान मंडल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। केंद्रीय संसद

1. किसी राज्य का क्षेत्र कम कर अथवा बढ़ा सकती है।
2. किसी राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर सकती है।
3. किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है।
4. किसी राज्य का कोई भाग कम करके अन्य राज्य के साथ जोड़ सकती है।
5. एक राज्य का विभाजन करके दो राज्यों का निर्माण कर सकती है।

उपर्युक्त तथ्यों के विषय में कानून का निर्माण करने के लिए केंद्रीय संसद को संबंधित राज्य विधान मंडल की पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है राज्यों के निर्माण के विषय में अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने के विषय में संबंधित राज्यों के विचार जानने के लिए उनके पास विधेयक का भेजना अनिवार्य है किंतु उनके विचारों को स्वीकार करना केंद्रीय संसद के लिए कोई आवश्यक नहीं है।

केन्द्र व राज्य सम्बन्धों में तनाव दूर करने के लिए सुझाव

यदि केन्द्र राज्यों सम्बन्धों में सुधार की बात की जाए तो केन्द्र व राज्य सम्बन्धों की समस्या पर विभिन्न समितियों ने परिचर्चा की है।

1. प्रशासनिक सुधार आयोग

1966 में केन्द्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था जिसकी कार्यसूची में केन्द्र राज्य सम्बन्धों का परिक्षण भी शामिल था। केन्द्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में छह सदस्यीय भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। 1969 में इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी गई इसमें केन्द्र राज्यों संबंधों के सुधार हेतु 22 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं, इसकी मुख्य सिफारिशें थीं। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाए।

राज्यपाल के रूप में गैर-दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो।

राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन होना चाहिए।

राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाए ताकि उनकी केन्द्र पर निर्भरता कम रहे। उनके अनुरोध पर ही राज्यों में केन्द्रीय सशास्त्र बलों की तैनाती होनी चाहिए।

2. तमिलनाडू की केन्द्र राज्य सम्बन्ध समिति

तमिलनाडू के 1969 में पी.बी. राजमन्नार के अधीन केन्द्र राज्य सम्बन्ध तहकीकात समिति का गठन किया जिसका मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में जाँच व सुधार हेतु संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना था।

इस समिति ने 1971 में तमिलनाडू सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस समिति की सिफारिशें।

- इस समिति ने केन्द्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की।
- एक अंतर-राज्यीय परिषद का गठन की सिफारिश की।
- वित आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए।
- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है। उसे समाप्त किया जाये।
- संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिया जाए।
- राज्यों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाये।
- अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाये।

केन्द्र सरकार ने राजामन्नार समिति की सिफारिशें को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

3. केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग

1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य सम्बन्धों की जाँच करने के लिए आयोग का गठन किया गया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की।

आयोग ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के सुधार की दिशा संबंधी 247 सिफारिशें प्रस्तुत की इनमें से मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—

- एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर – सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए।
- अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए।
- जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय अर्थिक विकास परिषद किया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए।
- केन्द्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए।
- समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले केन्द्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
- निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए।
- राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बंधित नहीं किया जाना चाहिए।
- त्रिभाषा, फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

केन्द्र सरकार सरकारिया आयोग की 247 में से 180 सिफारिशें को लागू कर चूकी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केन्द्र राज्य परिषद का गठन है।

सरकारियाँ आयोग ने अनुच्छेद 356 पर भी विचार किया इसका सम्बन्ध राज्यों में राष्ट्रीय शासन से था आयोग ने इसे समाप्त नहीं किया बल्कि इसमें संशोधन की बात की है।

4. पुंछी आयोग

2007 में केन्द्र सरकार ने केन्द्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायलय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया क्योंकि बदलती परिस्थितियों में केन्द्र राज्य संबंधों का पुनः समीक्षा आवश्यक थी आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी। 1456 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को सात खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग को सरकारिया आयोग द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट से सहायता मिली इस रिपोर्ट में आयोग ने 310 अनुशासाएं की कुछ मुख्य अनुशासाएं निम्नलिखित हैं—

- राज्यपालों के लिए पाँच साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केन्द्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होनी चाहिए।
- राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया राज्यपाल की महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए।
- संघियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वितीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वितीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय—समय पर गठित किए जाने वाले वितीय आयोगों को रखना चाहिए।
- समवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को प्रबंधन के लिए अंतर राज्य परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए।
- राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लैटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्यय करने के लिए भी प्रयोज्य बनाया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री को पद से हटाने से पहले राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन में साबित करने के लिए कहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारिता करनी चाहिए।
- राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल सैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए।

अन्य सुझाव

- केन्द्र व राज्य सम्बन्धों में व्यापक पुर्णपरीक्षण किया जाना चाहिए। जिससे उनके पास आवश्यकताओं के बढ़ते एवं बदलते हुए स्वरूप की पूर्ति के लिए पर्याप्त शक्तियाँ एवं संसाधन प्राप्त हो सके।
- राज्यों को उनकी आय में वृद्धि के लिए कुछ लचीले कर प्रदान किए जाने चाहिए।
- वित्त आयोग को स्थायी निकाय बना दिया जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे स्वविवेक से कार्य कर सके।
- केन्द्र राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप न करें। राज्य सूची के विषयों के कार्यक्रम लागू करने उन पर धन व्यय करने आदि का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रहे।

- प्रशासन वित्त और विधायी सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्थाएँ कम की जाए।
- अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी राज्य सेवा में रहें उन पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का रहे।
- प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक सवैधानिक सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए।
- संविधान में किसी भी अनुच्छेद में संशोधन के लिए राज्यों का बहुमत होना चाहिए।
- राज्यसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए तथा संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार होना चाहिए।

निष्कर्ष

संघ व राज्यों के विधायी सम्बन्धों का अध्ययन करने से पता चलता है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोनों के क्षेत्राधिकार अलग अलग है। लेकिन राज्य की तुलना में केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तियों के विभाजन के बावजूद भी भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता को दर्शाता है। संघ सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में भी अत्यधिक स्थिर व शक्तिशाली है।

देश के पूर्ण विकास के लिए राज्यों की सकीर्णता तथा प्रदेशिकता के भाव का विरोध करने के लिए इस प्रकार का प्रबन्ध करना आवश्यक है। राज्यों को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए केन्द्र की सहायता की आवश्यकता होती है।

केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। अतः इन सम्बन्धों में सुधार होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. पायली, एम. वी., भारतीय संविधान, यूनाईटेड बुक हाउस: दिल्ली, 1977, पृ. 261–62.
2. श्रीराम महेश्वरी, भारतीय प्रशासन, ओरियंट ब्लैक्स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, 2010, पृ. 242–245.
3. शर्मा, हरिश्चंद्र, भारत में राज्यों की राजनीति, कालेज बुक डिपो: जयपुर, 1982, पृ. 131.
4. एनुवल रिपोर्ट ऑफ द मेम्बर्स ऑफ होम एफेयर्स, 1995–96, पृ. 42.
5. महेन्द्र प्रसाद सिंह, भारतीय प्रशासन और राजनीति, ओरियंट ब्लैक्स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, 2019, पृ. 133.
6. स्टेट रिअर्गेनाइजेशन आयोग की रिपोर्ट, 1956 भारत सरकार रिपोर्ट।
7. रंजन सुधांशु, "किसके लिए बने छोटे राज्य" संपादकीय लेख, नवभारत टाइम्स, दिल्ली, 2 जनवरी, 2008.
8. शर्मा, सुमन, स्टेट बाउडरी चंलिज इन इंडिया, दीप एंड दीप प्रकाशन: नई दिल्ली, 1991, पृ. 64.
9. बसु, डी.डी. भारत का संविधान एक परिचय, वाधवा एंड कंपनी: नई दिल्ली, 2004, पृ. 47.
10. पायली, एम. वी., भारत का संविधान, 1975, पृ. 170.
11. केन्द्र राज्य संबंध आयोग रिपोर्ट भाग-1 (1988), पृ. 166.

12. चौधरी वालिमकी, "संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका" नेशनल हेराल्ड : नई दिल्ली, 1969, पृ. 263.
13. O.P. Goyal : India : Government and Politics 1979, pp. 110-25.
14. B.L. Maheshwari: Centre State Relations in Seventies, 1973. p. 4.
15. M.V. Pylee: Constitutional Government in India, 1977, p. 678
16. केन्द्र राज्य सम्बन्ध आयोग रिपोर्ट, भाग-1 (भारत सरकार, 1988), पृ. 237-38.
17. Ashok Chanda: Federalism in India, 1968, p. 196
18. दि नवभारत टाइम्स, (नई दिल्ली), 23 मई 1979, पृ. 4.
19. रे अमल, (1988), सरकारिया कमीशन का परिप्रेक्ष्य: एक मूल्यांकन, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 23, संख्या 22 (28 मई, 1988), पृ. 1131-1133.
20. रुडोल्फ लॉयड आई. और सुजैन होएबर रुडोल्फ (2010), "भारत में राज्य गठन के रूप में संघवाद: साझा और बातचीत की गई संप्रभुता का सिंद्हात", अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान समीक्षा, 31(5), पृष्ठ 1-21, 2010.

